भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

और

अडाणी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

के बीच

सीएनएस/एटीएम समझौता

(यह सीएनएस/एटीएम समझौता 19.01.2021 के रियायत समझौते का

एक अभिन्न हिस्सा और अंग है)

अनुसूची क्यू

सीएनएस/एटीएम समझौता

(खंड 20.2.1 देखें)

विषय सूची

अनुच्छेद / अनुसूची	**विषय**	**पृष्ठ**
अनुच्छेद 1	परिभाषाएं और व्याख्या	2
अनुच्छेद 2	वैधता और अवधि	4
अनुच्छेद 3	प्रतिनिधित्व और वारंटी	5
अनुच्छेद 4	प्राधिकरण के दायित्व	5
अनुच्छेद 5	रियायतग्राही के दायित्व	6
अनुच्छेद 6	सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार	8
अनुच्छेद 7	संयुक्त समन्वय समिति	10
अनुच्छेद 8	राजस्व और शुल्क	11

अनुच्छेद / अनुसूची	**विषय**	**पृष्ठ**
अनुच्छेद 9	क्षतिपूर्ति	11
अनुच्छेद 10	देयता	12
अनुच्छेद 11	अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर)	12
अनुच्छेद 12	समाप्ति	14
अनुच्छेद 13	असाइनमेंट / अंतरण	15
अनुच्छेद 14	विवाद निवारण	15
अनुच्छेद 15	बीमा	16
अनुच्छेद 16	नोटिस	16
अनुच्छेद 17	मानी गयी सुपुर्दगी (डीम्ड डिलीवरी)	17
अनुच्छेद 18	विविध	17
अनुच्छेद 19	लागू कानून	19

अनुच्छेद / अनुसूची	**विषय**	**पृष्ठ**
अनुच्छेद 20	एएआई द्वारा नियम व शर्तें	19
अनुसूची 1	एएआई उपकरण और रियायतग्राही उपकरण	21
अनुसूची 2	सीएनएस/एटीएम सेवाएं	22
अनुसूची 3	कार्यालय और सुविधाएं	23
अनुसूची 4	पृथक किए गए क्षेत्र	24
अनुसूची 5	मौजूदा उपकरणों की सूची	25
अनुसूची 6	हवाई अड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भावी रोडमैप	26

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए यह "समझौता" 25 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में किया गया है।

पक्षकार :

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ("अधिनियम") के तहत स्थापित है और जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तथा जिसका मुख्य कार्यालय राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110 003, भारत में स्थित है (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकरण" या "एएआई" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ इसके विपरीत न हो, इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष; और
2. **अदानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एस जी हाईवे, अहमदाबाद - 382421, गुजरात, भारत में स्थित है (जिन्हें इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ इसके विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी, स्वीकृत समनुदेशिती और प्रतिस्थानी शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

"एएआई" और "रियायतग्राही" अभिव्यक्तियों का, जहां भी संदर्भ के अनुसार आवश्यक हो, उनके संबंधित हित-उत्तराधिकारी और स्वीकृत समनुदेशिती अर्थ होगा तथा उन्हें संयुक्त रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा।

प्रस्तावना:

क. रियायतग्राही ने असम राज्य में स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौता (जैसा कि नीचे परिभाषित है) किया है।

ख. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसरण में, एएआई भारत के सभी नागरिक हवाई अड्डों सहित भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर वायु यातायात सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है।

ग. उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, एएआई इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर हवाई अड्डे (जैसा कि नीचे परिभाषित है) पर सेवाएं प्रदान करेगा।

अब, इसलिए, पूर्वगामी और इस समझौते में निर्धारित संबंधित वचनों और समझौतों के विचार के बदले में, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है, और इसके द्वारा कानूनी रूप से बाध्य होने का इरादा रखते हुए पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- "**एएआई विकास उपकरण**" का अर्थ खंड 6.4 में निर्धारित अर्थ है;
- "**एएआई उपकरण**" का अर्थ रियायतग्राही उपकरण के अलावा वे सभी उपकरण और सुविधाएं हैं, जो एएआई को इस समझौते और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों

और अनुलग्नकों के अनुसार एएआई सेवाएं करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं, और संदर्भ के अनुसार इसमें एएआई विकास उपकरण शामिल होंगे;

- "**एएआई सेवाएं**" का अर्थ इस समझौते के तहत प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं जैसा कि खंड 4.1 में निर्धारित है;
- "**एयरलाइन**" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;
- "**एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम**" का अर्थ प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच के संबंध में हवाईअड्डे पर लाइटिंग सिस्टम से है;
- "**हवाई अड्डा**" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;
- "**सीओडी**" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;
- "**शिकागो कन्वेंशन**" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;
- "**सीएनएस/एटीएम शुल्क**" का वही अर्थ होगा जो खंड 8 में निर्धारित है;
- "**सीएनएस/एटीएम उपकरण**" का अर्थ सीएनएस/एटीएम सेवाओं के निष्पादन के लिए एएआई द्वारा आवश्यक सभी उपकरण और सुविधाएं हैं, जिनमें रियायतग्राही उपकरण और एएआई उपकरण शामिल हैं;
- "**सीएनएस/एटीएम सेवाएं**" का अर्थ हवाईअड्डे पर एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार, नेविगेशन और निगरानी, तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं हैं जैसा कि इस समझौते में और अनुसूची 2 में अधिक विशेष रूप से वर्णित है;
- "**रियायत समझौता**" का अर्थ प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच दर्ज 19.01.2021 का रियायत समझौता है;
- "**रियायतग्राही उपकरण**" का अर्थ अनुसूची 1 के भाग I में निर्धारित रियायतग्राही के उपकरण और सुविधाएं हैं, और संदर्भ के अनुसार इसमें रियायतग्राही विकास उपकरण शामिल होंगे;
- "**रियायतग्राही विकास उपकरण**" का अर्थ खंड 6.3.1 में निर्धारित अर्थ है;
- "**डीजीसीए**" का अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय या उसका कोई प्रतिस्थानी होगा;
- "**विवाद**" का अर्थ खंड 14.1 में निर्धारित अर्थ है;
- "**विस्तार**" का अर्थ रियायत समझौते के अनुसरण में समय-समय पर रियायतग्राही द्वारा हवाईअड्डे की क्षमता में किया गया विस्तार है;
- "**अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना**" का अर्थ खंड 6.2.1 में निर्धारित अर्थ है;
- "**उड़ान सूचना क्षेत्र**" का अर्थ परिभाषित आयामों का एक हवाई क्षेत्र है जिसके भीतर उड़ान सूचना सेवा और चेतावनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं;
- "**अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर)**" का अर्थ खंड 11.2 में निर्धारित अर्थ है;
- "**भारत सरकार**" का अर्थ भारत सरकार और उसका कोई भी विधिवत अधिकृत निकाय, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षक, मंत्रालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) है जो नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और दिशा में हो;
- "**घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया**" का अर्थ घटनाओं और आपात स्थिति की रिपोर्टिंग के लिए एएआई और रियायतग्राही के बीच समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया से है, जो प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार होगी तथा जिस उड़ान सूचना क्षेत्र में हवाईअड्डा स्थित है उसके समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन एवं रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप होगी;

- **"क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता पक्षकार"** का अर्थ खंड 9.2 में निर्धारित अर्थ है;
- **"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार"** का अर्थ खंड 9.2 में निर्धारित अर्थ है;
- **"जेसीसी"** का अर्थ खंड 7.1 में निर्धारित अर्थ है;
- **"परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया"** का अर्थ एएआई सेवाओं के दैनिक निर्वहन और रियायतग्राही के दायित्वों के संबंध में जानकारी के संचार के लिए समय-समय पर एएआई और रियायतग्राही के बीच सहमत होने वाली प्रक्रिया से है, जो प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार होगी तथा समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन एवं रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप होगी;
- **"प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना"** का अर्थ खंड 6.1.2 में निर्धारित अर्थ है;
- **"परियोजना"** का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;
- **"मार्ग नेविगेशन सुविधाएं शुल्क"** का अर्थ लागू कानूनों के अनुसार मार्ग नेविगेशन सुविधाओं के प्रावधान के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस और/या विमान ऑपरेटरों से लिया जाने वाला शुल्क है; और
- **"टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क"** का अर्थ लागू कानूनों के अनुसार हवाई अड्डे पर टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस या विमान ऑपरेटरों से लिया जाने वाला या लिया जाने योग्य शुल्क है।

1.2 व्याख्या

- **1.2.1** बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौते में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो यहां दिए गए हैं, तथा जो शब्द और अभिव्यक्तियां इस समझौते में उपयोग किए गए हैं परंतु परिभाषित नहीं हैं लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो रियायत समझौते में दिए गए हैं।
- **1.2.2** इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी नोटिस और अन्य सभी संचार एवं दस्तावेज जो इस समझौते से संबंधित हैं और जो इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति से संबंधित हैं (जिसमें विवाद निवारण कार्यवाही शामिल है पर सीमित नहीं है), अंग्रेजी भाषा में होंगे।
- **1.2.3** अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौते के अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ हैं।
- **1.2.4** रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बतायी गयी व्याख्या के नियम किए गए आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समझौते पर लागू होंगे।

2. वैधता और अवधि

- **2.1** इस समझौते के प्रावधान (अनुच्छेद 1, 2, 12 से 14 और 16 से 20 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो इस समझौते की तारीख से पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे) और इस समझौते के तहत पक्षकारों के संबंधित अधिकार और दायित्व सीओडी (वाणिज्यिक संचालन तिथि) से पूर्ण प्रभाव में आएंगे।

- **2.2** यदि पूर्व कानूनी शर्त पूर्ववृत्त के पूरा न होने के कारण रियायत समझौता समाप्त हो जाता है, तो यह समझौता बिना किसी पक्ष पर किसी देयता के तुरंत समाप्त हो जाएगा।
- **2.3** इस अनुच्छेद 2 के खंड 2.2 के अधीन रहते हुए, यह समझौता, जब तक कि इसकी शर्तों के अनुसार समाप्त न किया जाए, रियायत समझौते की पूरी अवधि के लिए लागू और प्रभावी रहेगा।

3. प्रतिनिधित्व और वारंटी

- रियायत समझौते के अनुच्छेद 7 में उल्लिखित प्रतिनिधित्व और वारंटी आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समझौते पर लागू होंगी।

4. प्राधिकरण के दायित्व

4.1 एएआई सेवाएं

- **4.1.1** एएआई हर समय (इसकी अवधि के दौरान प्रत्येक दिन 24 (चौबीस) घंटों में आवश्यकतानुसार मल्टी-शिफ्ट संचालन के माध्यम से) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों, अनुलग्नकों और डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार, अपने स्वयं के लागत और खर्च पर:
  - (क) अनुसूची 2 में विशेष रूप से प्रदान की गई सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करेगा;
  - (ख) एएआई उपकरणों का रखरखाव करेगा जिसमें एएआई उपकरणों का आवधिक उड़ान अंशांकन और अन्य परीक्षण शामिल हैं;
  - (ग) समय-समय पर आवश्यक होने पर एएआई उपकरणों को अपग्रेड और/या बढ़ाएगा: (i) एएआई को हवाई अड्डे पर प्रासंगिक एएआई सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए; (ii) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों, अनुलग्नकों और डीजीसीए आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए; और (iii) विस्तार के परिणामस्वरूप; और
  - (घ) एएआई सेवाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक जनशक्ति की तैनाती करेगा।
- **4.1.2** विस्तार के कारण रियायतग्राही के अनुरोध पर एएआई रियायतग्राही की लागत और खर्च पर एएआई उपकरणों का स्थानांतरण करेगा, प्रदान शर्त यह है कि ऐसा स्थानांतरण इस समझौते के तहत एएआई के दायित्वों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे:

  शर्त यह भी है कि एएआई अपने विवेक पर एएआई उपकरणों को स्थानांतरित कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा स्थानांतरण रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों और/या हवाई अड्डे के सुचारू संचालन को प्रभावित न करे।

- **4.1.3** एएआई वायु यातायात के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित प्रवाह के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन करेगा।
- **4.1.4** एएआई रियायतग्राही को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आवाजाही के लिए वायु यातायात आवाजाही के सभी आंकड़े ऐसे प्रारूप में, ऐसी आवृत्ति पर और

वितरण के ऐसे तरीके के माध्यम से प्रदान करेगा जैसा कि पक्षकारों द्वारा समय-समय पर सहमति व्यक्त की जाए।

- **4.1.5** एएआई परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा तथा रियायतग्राही और वैमानिकों को नोटिस जारी करेगा, जिसमें एएआई सेवाओं का ब्रेकडाउन शामिल है।
- **4.1.6** एएआई अपने लागत और खर्च पर शिकागो कन्वेंशन, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों, डीजीसीए आवश्यकताओं और एएआई व भारत मौसम विज्ञान विभाग के बीच हुए किसी भी समझौते के अनुसार एएआई सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (भारत सरकार) से विमानन मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करेगा। रियायतग्राही अपनी लागत और खर्च पर (और एएआई या भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए बिना किसी लागत के) साइट पर ऐसा बुनियादी ढांचा और स्थान प्रदान करेगा जो मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपकरणों/संयंत्रों की स्थापना और कार्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक हो।
- **4.1.7** एएआई प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों, अनुलग्नकों और डीजीसीए आवश्यकताओं के अनुसार हवाईअड्डे पर और हवाईअड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र में एएआई सेवाओं से संबंधित सभी प्रक्रियाओं, नियमावलियों और चार्टों को तैयार और प्रकाशित करेगा।

4.2 मार्ग में वायु नेविगेशन और वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाएं

- **4.2.1** यदि एएआई को आवश्यकता हो, तो वह अपने लागत और खर्च पर हवाईअड्डे या साइट पर मार्ग में वायु नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण, भवन, कार्य या सुविधाओं को स्थित रखना (या आवश्यकतानुसार स्थानांतरित करना) जारी रख सकता है।
- **4.2.2** एएआई अपने खर्च पर हवाई अड्डे पर एन-रूट एयर नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है।
- **4.2.3** एएआई अपने खर्च पर हवाईअड्डे पर और पूरे भारत में वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है, जो रियायतग्राही की पूर्व स्वीकृति के अधीन होगा (ऐसी स्वीकृति अनुचित रूप से नहीं रोकी जाएगी)।
- **4.2.4** खंड 4.2.1 और/या 4.2.2 के अनुसरण में स्थानांतरण और/या स्थापना करते समय, एएआई हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। ऐसे उपाय किए जाने के अधीन, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे स्थानांतरण और/या स्थापना के कारण हवाई अड्डे के सामान्य संचालन में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यवधान के लिए एएआई को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- **4.2.5** एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि समय-समय पर उसके द्वारा स्थापित सभी उपकरण, रडार, भवन, कार्य या सुविधाएं सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार संचालित और अनुरक्षित हों।

4.3 सेवा के मानक

- **4.3.1** एएआई हर समय प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों, अनुलग्नकों और डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार एएआई सेवाएं प्रदान करेगा, और एएआई सेवाओं या एएआई उपकरणों के प्रावधान के संबंध में रियायतग्राही को कोई खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **4.3.2** एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मी रियायतग्राही की लागत पर रियायतग्राही द्वारा शुरू किए गए किसी भी गुणवत्ता सुधार उपायों में भाग लें, और समान रनवे कॉन्फ़िगरेशन एवं मौसम संबंधी स्थितियों के लिए अधिकतम विमान आवाजाही प्रति घंटा (पीक एयरक्राफ्ट मूवमेंट) प्राप्त करने और बनाए रखने में रियायतग्राही की सहायता करेंगे।

4.4 गैर-हस्तक्षे प

- एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मी और एजेंट रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निर्वहन में कोई हस्तक्षेप, रुकावट या व्यवधान न डालें, सिवाय इसके कि जो एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हो।

5. रियायतग्राही के दायित्व

5.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (क) रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच का निर्माण और रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों, अनुलग्नकों और डीजीसीए आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है और वे विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं;

(ग) बाधाओं से मुक्त रखा जाए, या यह कि कोई भी बाधा प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों/अनुलग्नकों और डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं में अनुमेय सीमाओं के अनुसार हो, तथा यह एएआई के पूर्व अनुमोदन के अधीन हो;

(घ) सीएनएस/एटीएम उपकरणों के लिए एएआई द्वारा चिह्नित संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी ऐसी बाधा से मुक्त रखा जाए जो ऐसे उपकरणों के कामकाज में बाधा डाल सकती है और/या विमान संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है;

(ङ) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों/अनुलग्नकों और डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार खोज एवं बचाव तथा अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी उपलब्ध कराई जाए और बनाए रखी जाए;

(च) परिचालन क्षेत्र और उसके आसपास पक्षी/पशु उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त व्यवस्था की जाए;

(छ) निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक (कंटिंजेंसी) व्यवस्थाएं की जाएं:

- (i) रनवे से विकलांग/क्षतिग्रस्त विमान को हटाना;
- (ii) विमान या हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी;

- (iii) हवाईअड्डे और उसके आसपास विमान दुर्घटनाएं;
- (iv) गैर-अनुसूचित विमान की हवाईअड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग;
- (v) हवाईअड्डे पर आग लगना;
- (vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं;
- (vii) हवाईअड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति;
- (viii) अपहरण और/या नागर विमानन के साथ गैर-कानूनी हस्तक्षेप;
- (ix) टर्मिनल भवन और/या हवाईअड्डे के किसी भी परिचालन क्षेत्र पर उग्रवादी हमले;

(ज) एयर ट्रैफिक सर्विसेज कॉम्प्लेक्स को एयरपोर्ट मैनेजर और अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा पुलिस सहित हवाईअड्डे पर स्थित सभी आपातकालीन सेवाओं से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटी (इमरजेंसी अलार्म बेल्स) लगाई जाएं;

(झ) एएआई और उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों को हवाईअड्डे और उसके सभी परिचालन क्षेत्रों तक ऐसी पहुंच प्रदान की जाए जो एएआई सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो;

(ञ) एएआई और उसके कर्मियों तथा एजेंटों को ऐसी जानकारी प्रदान की जाए जो एएआई सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो;

(ट) इसके कर्मचारी और एजेंट, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया या इंसिडेंट (घटना) रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार जानकारी मिलते ही तुरंत रिपोर्ट करें: (i) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में कोई विफलता या दोष; (ii) एएआई के लिए रियायतग्राही के किसी भी उपकरण की अनुपलब्धता; और (iii) रनवे, एप्रन, एप्रोच, टैक्सीवे या अन्य आवाजाही क्षेत्रों पर कोई बाधा;

(ठ) रियायतग्राही के किसी भी उपकरण को बंद करने या वापस लेने के प्रस्ताव के बारे में ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार एएआई को सूचित किया जाए;

(ड) आगमन के अनुमानित समय की प्राप्ति पर विमानों के लिए पार्किंग बे और एयरोब्रिज आवंटित किए जाएं, और एएआई को इसकी सूचना दी जाए ताकि एएआई तदनुसार विमान का मार्गदर्शन कर सके।

5.2 रियायतग्राही अपने लागत और खर्च पर:

(क) एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए एएआई के कर्मियों और एजेंटों को हर समय अनुसूची 3 में निर्धारित कार्यालय स्थान/सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ख) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों/अनुलग्नकों और डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम और मुख्य तथा स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करेगा;

(ग) एएआई के निर्देश पर, रनवे, एप्रन, एप्रोच, टैक्सीवे या अन्य आवाजाही क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाएगा;

(घ) एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करेगा जहां ऐसा स्थानांतरण विस्तार के कारणों से आवश्यक हो;

(ङ) एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए एएआई उपकरणों और अनुसूची 3 में निर्धारित कार्यालय स्थान/सुविधाओं को उपयोगिता आपूर्ति (दोहरे आपूर्ति स्रोत के साथ बिजली की आपूर्ति सहित) प्रदान करेगा।

5.3 यदि रियायतग्राही को प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों/अनुलग्नकों और डीजीसीए आवश्यकताओं में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक एएआई उपकरणों को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है, तो एएआई, जेसीसी द्वारा ऐसे अपग्रेडेशन को आवश्यक निर्धारित करने के अधीन, अपने स्वयं के लागत और खर्च पर ऐसा अपग्रेडेशन करेगा।

6. सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार

6.1 सुविधाओं और उपकरणों के विकास और विस्तार की योजना

6.1.1 एएआई और रियायतग्राही हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यातायात प्रवाह के कारण सीएनएस/एटीएम सेवाओं की भविष्य की आवश्यकताओं का आवधिक मूल्यांकन करेंगे।

6.1.2 जिस तारीख को सीएनएस/एटीएम उपकरण भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त होने की संभावना है, उससे कम से कम 24 (चौबीस) महीने पहले, कोई भी पक्ष सीएनएस/एटीएम उपकरणों के आवश्यक विकास, अपग्रेडेशन और/या विस्तार के लिए एक योजना ("प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना") प्रस्तुत कर सकता है। प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) अनुमानित यातायात प्रवाह पर सभी सहायक डेटा के साथ विश्लेषण;
- (ii) एएआई सेवाओं और रियायतग्राही सेवाओं में वृद्धि की आवश्यकता;
- (iii) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और डीजीसीए आवश्यकताओं से अधिक अतिरिक्त सीएनएस/एटीएम उपकरणों की आवश्यकता या एएआई उपकरणों के अपग्रेडेशन की आवश्यकता;
- (iv) सीएनएस/एटीएम उपकरणों के स्थानांतरण की आवश्यकता;
- (v) रियायतग्राही द्वारा एएआई और भारत सरकार के भारत मौसम विज्ञान विभाग को निम्नलिखित के संदर्भ में प्रदान की जाने वाली आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं:
  - (अ) उपकरण/संयंत्र की स्थापना के लिए परिचालन क्षेत्र में स्थान;
  - (ब) कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान;
- (vi) एएआई के कर्मियों और एजेंटों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्यालय स्थान/सुविधाएं।

6.2 सुविधाओं या उपकरणों के विकास, विस्तार और परिवर्तन को संभालने की प्रक्रिया

6.2.1 किसी पक्ष द्वारा प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना प्रस्तुत करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्षकार प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना पर चर्चा करने के लिए

बैठक करेंगे और सीएनएस/एटीएम उपकरणों के विकास, अपग्रेडेशन और/या विस्तार की योजना के साथ-साथ उसकी समय-सारणी ("अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना") को अंतिम रूप देने का सद्भावपूर्वक प्रयास करेंगे। अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, इसे खंड 7.3 के अनुसार जेसीसी को संदर्भित किया जाएगा।

6.2.2 पक्षकार इस समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों के अनुसार अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना द्वारा आवश्यक अतिरिक्त सुविधाएं, उपकरण, जनशक्ति और उपयोगिता आपूर्ति (दोहरे आपूर्ति स्रोत के साथ बिजली आपूर्ति सहित) अपनी लागत पर प्रदान करेंगे।

6.3 रियायतग्राही के विकास दायित्व

6.3.1 रियायतग्राही, अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने लागत और खर्च पर, रियायतग्राही के दायरे में पहचाने गए ऐसे अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं (कार्यालय सुविधाओं सहित) को डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, चालू और संचालित करेगा ("रियायतग्राही विकास उपकरण")।

6.3.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि:

- (i) एएआई किसी भी रियायतग्राही विकास उपकरण के परीक्षण और/या चालू (कमीशनिंग) करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो कि पूरी तरह से रियायतग्राही की जिम्मेदारी होगी;
- (ii) एएआई रियायतग्राही को रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित (कैलिब्रेट) करने में सक्षम बनाने के लिए अंशांकन उड़ानों (कैलिब्रेशन फ्लाइट्स) में समन्वय करेगा;
- (iii) रियायतग्राही विकास उपकरण का स्वामित्व रियायतग्राही के पास रहेगा।

6.3.3 रियायतग्राही:

- (i) एएआई विकास उपकरण और रियायतग्राही विकास उपकरण के बीच के इंटरफेस (संबंधों) की पहचान एएआई के समक्ष करेगा;
- (ii) एएआई और उसके कर्मियों, एजेंटों और वाहनों को हवाई अड्डे तक पहुंच और ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो एएआई सेवाओं को निष्पादित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो;
- (iii) एएआई को उस तारीख से कम से कम 60 (साठ) दिन पहले सूचित करेगा जिस तारीख को रियायतग्राही विकास उपकरण चालू होने की उम्मीद है;
- (iv) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

6.4 एएआई के विकास दायित्व

एएआई:

- (i) अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी लागत और खर्च पर, एएआई के दायरे में पहचाने गए ऐसे अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं ("एएआई विकास उपकरण") को डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, चालू और संचालित करेगा;
- (ii) यह सुनिश्चित करेगा कि एएआई विकास उपकरण रियायतग्राही विकास उपकरण चालू होने की अपेक्षित तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले चालू हो जाए;
- (iii) एएआई विकास उपकरण और रियायतग्राही विकास उपकरण के बीच संगतता सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में उपयुक्त इंटरफेसिंग सुनिश्चित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसका खर्च रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा;
- (iv) रियायतग्राही के खर्च पर, रियायतग्राही विकास उपकरण के किसी भी अंशांकन और बेंचमार्क परीक्षण में भाग लेगा;
- (v) यह सुनिश्चित करेगा कि एएआई विकास उपकरण प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों/अनुलग्नकों और डीजीसीए आवश्यकताओं के अनुसार एएआई सेवाओं का निष्पादन कर सके;
- (vi) एएआई विकास उपकरण को एएआई द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक वायु नेविगेशन और मौसम संबंधी उपकरणों और प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा;
- (vii) एएआई विकास उपकरण को चालू करने के लिए आवश्यक अंशांकन उड़ानें (कैलिब्रेशन फ्लाइट्स) संचालित करेगा और व्यावहारिक सीमा तक रियायतग्राही के साथ समन्वय करेगा ताकि रियायतग्राही उसी समय अपने विकास उपकरणों को कैलिब्रेट कर सके। संदेह से बचने के लिए, रियायतग्राही विकास उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए रियायतग्राही द्वारा उठाए गए खर्च के लिए एएआई उत्तरदायी नहीं होगा। रियायतग्राही विकास उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए एएआई द्वारा किए गए किसी भी खर्च की वसूली रियायतग्राही से की जाएगी;
- (viii) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

7. संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी)

7.1 पक्षकार स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए, प्रत्येक पक्ष को दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी, और उस प्रभाव के लिए पक्षकार एतद्द्वारा सीओडी (सीओडी) से 1 (एक) महीने के भीतर एक संयुक्त समन्वय समिति ("जेसीसी") स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। जेसीसी:

- (i) इसमें 4 (चार) सदस्य शामिल होंगे, जिसमें प्रत्येक पक्ष 2 (दो) सदस्यों को नामांकित और नियुक्त करेगा;

  बशर्ते कि जेसीसी के सदस्य अपनी ओर से बैठकों में भाग लेने के लिए प्रॉक्सी नामांकित/प्रस्तावित कर सकते हैं;

- (ii) इसकी अध्यक्षता रियायतग्राही के नामांकित व्यक्ति द्वारा की जाएगी;
- (iii) हवाईअड्डे पर महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

7.2 पक्षकारों को जेसीसी द्वारा विचार किए गए सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें बाध्य करने का पूरा अधिकार जेसीसी के सदस्यों को सौंपे जाने के रूप में माना जाएगा।

7.3 जेसीसी सीएनएस/एटीएम सेवाओं के संबंध में पक्षकारों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद और मतभेद का समाधान शामिल है। इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में जिसे जेसीसी द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, ऐसे विवाद या मतभेद को रियायतग्राही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और एएआई के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाएगा।

- (i) यदि उपरोक्त उप-खंड (i) के अनुसार संदर्भ के 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर मामला हल नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष अनुच्छेद 14 के तहत समाधान के लिए मामला संदर्भित कर सकता है।

8. राजस्व और शुल्क

8.1 एएआई अपनी सेवाओं के निष्पादन के एवज में, सीधे एयरलाइंस से रूट नेविगेशन सुविधाएं शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क ("सीएनएस/एटीएम शुल्क") वसूलने का हकदार होगा और रियायतग्राही पर ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई देयता नहीं होगी।

8.2 एएआई द्वारा सीएनएस/एटीएम शुल्क एकत्र करने में विफलता एएआई को किसी भी तरह से एएआई सेवाओं के निष्पादन से छूट नहीं देगी।

8.3 यदि कोई व्यक्ति एएआई को सीएनएस/एटीएम शुल्क का भुगतान करने में चूक करता है, तो एएआई को ऐसे व्यक्ति को एएआई सेवाएं प्रदान न करने और बकाया राशि की वसूली के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार होगा, और इसे एएआई की तरफ से सेवाओं के निष्पादन में चूक नहीं माना जाएगा।

8.4 सीएनएस/एटीएम सेवाओं और हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में एएआई द्वारा सीधे उठाए गए सभी परिचालन या पूंजीगत खर्च, उन शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे जो एएआई ऐसी सेवाओं के लिए लगा सकता है। एएआई द्वारा सीधे वहन की गई किसी भी लागत या खर्च की भरपाई रियायतग्राही द्वारा नहीं की जाएगी और न ही यह उन वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होगी जिन्हें रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

8.5 इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा सीधे उठाए गए सभी परिचालन या पूंजीगत खर्च, एईआरए द्वारा वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे, जिन्हें रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है। रियायतग्राही द्वारा सीधे वहन की गई किसी भी लागत या खर्च की भरपाई एएआई द्वारा नहीं की जाएगी, और न ही यह उन शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होगी जिन्हें एएआई द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

9. क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेंटों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पक्ष के दायित्वों के निष्पादन (चाहे कार्य या लोप द्वारा) से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के दावों के कारण होने वाले नुकसान, लागत, खर्च, देयता या क्षति के सभी भुगतानों से क्षतिपूर्त रखेगा, बचाव करेगा और नुकसान से बचाएगा (फ़ोर्स मेज्योर की घटना को छोड़कर), जिसमें व्यक्तियों की चोट या मृत्यु या संपत्ति के नुकसान के दावे शामिल हैं।

9.2 नोटिस और दावों का विरोध

यदि किसी पक्ष को तीसरे पक्ष से कोई ऐसा दावा प्राप्त होता है जिसके तहत वह खंड 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है ("क्षतिपूर्त पक्षकार"), तो वह दावा प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार") को सूचित करेगा, और क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा (ऐसी स्वीकृति अनुचित रूप से नहीं रोकी जाएगी)। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का विरोध करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही चला सकता है और इसका पूरा खर्च वहन करेगा।

10. देयता

10.1 पक्षकारों का इरादा है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देयताएं इस समझौते से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और देयताओं का संपूर्ण विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते में व्यक्त किए गए उपाय ही एक-दूसरे के प्रति देयताओं के लिए एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे। एएआई सेवाओं के प्रावधान के संबंध में प्राधिकरण की देयता आउटेज समय की अवधि और/या गुणवत्ता में आई गिरावट के अनुरूप टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क तक सीमित होगी।

11. अप्रत्याशित घटना (फेर्स मेज्योर)

11.1 लागू होना

अनुच्छेद 11 तब लागू होगा यदि इस समझौते के तहत किसी पक्ष ("प्रभावित पक्ष") द्वारा अपने दायित्वों का निष्पादन पूरी तरह या आंशिक रूप से फ़ोर्स मेज्योर के कारण बाधित, अवरुद्ध या विलंबित होता है।

11.2 फ़ोर्स मेज्योर की परिभाषा

11.2.1 इस समझौते में, "फ़ोर्स मेज्योर" का अर्थ कोई भी ऐसा कार्य, घटना या परिस्थिति (या उनका संयोजन) है जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे है, और जिसे प्रभावित पक्ष अच्छी उद्योग प्रथाओं या उचित कौशल द्वारा नहीं रोक सकता था, और जो इस समझौते के तहत दायित्वों के निष्पादन को रोकता है या विलंबित करता है।

11.2.2 फ़ोर्स मेज्योर में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक अशांति;
- (ख) बिजली गिरना, भूकंप, तूफान, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम, आग, विस्फोट, रासायनिक या परमाणु संदूषण;
- (ग) सीओडी से पहले हवाईअड्डे में शामिल करने के लिए परिवहन के दौरान माल का आकस्मिक नुकसान या क्षति;
- (घ) हवाई अड्डे को गंभीर आकस्मिक क्षति;
- (ङ) महामारी
- (च) युद्ध का कार्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, विदेशी दुश्मन का कार्य, नाकाबंदी, नागरिक उपद्रव, दंगा, बम या नागरिक अशांति;
- (छ) तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;
- (ज) दैवीय कृत्य (एक्ट ऑफ गोड)।

परंतु निम्नलिखित फ़ोर्स मेज्योर नहीं माने जाएंगे:

- (i) कोई भुगतान करने में विफलता या असमर्थता;
- (ii) बाजार की स्थितियों के प्रभाव (जब तक कि वे स्वयं फ़ोर्स मेज्योर घटना के कारण न हों)।

11.3 फ़ोर्स मेज्योर के परिणाम

11.3.1 निष्पादन दायित्व: प्रभावित पक्ष फ़ोर्स मेज्योर के कारण होने वाली किसी भी विफलता या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और निष्पादन के लिए दिया गया समय तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

11.3.2 अधिसूचना: प्रभावित पक्ष फ़ोर्स मेज्योर घटना के बारे में तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करेगा।

12. समाप्ति

12.1 रियायतग्राही की चूक की घटनाएं

एएआई रियायतग्राही को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा यदि:

- (i) रियायतग्राही एएआई को देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और नोटिस मिलने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर इसे ठीक नहीं किया जाता है;
- (ii) रियायतग्राही के परिसमापन, दिवाला या विघटन का आदेश पारित किया जाता है;
- (iii) रियायतग्राही इस समझौते में किसी भी गैर-वित्तीय दायित्व का पालन करने में विफल रहता है जो 30 (तीस) दिनों तक जारी रहता है;

  बशर्ते कि यदि भारत सरकार, असम सरकार या एएआई द्वारा समय पर की जाने वाली कार्रवाई में बाधा डाली गई हो तो एएआई ऐसा नोटिस जारी नहीं कर सकेगा।

12.2 एएआई की चूक की घटनाएं

यदि लागू कानून रियायतग्राही को सीएनएस/एटीएम सेवाएं निष्पादित करने की अनुमति देते हैं, तो रियायतग्राही एएआई को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा।

12.3 समाप्ति नोटिस का प्रभावी होना

नोटिस जारी होने के 90 (नब्बे) दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, यदि परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं, तो नोटिस जारी करने वाला पक्ष तुरंत प्रभाव से इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

12.4 समाप्ति के परिणाम

12.4.1 यदि समझौता रियायतग्राही द्वारा समाप्त किया जाता है, तो एएआई तुरंत सभी उपकरण, नियमावलियां और चार्ट भारत सरकार को सौंप देगा ताकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

12.4.2 रियायतग्राही किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से एएआई सेवाओं के समकक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार से परामर्श कर सकता है।

13. असाइनमेंट / हस्तांतरण

13.1 एएआई द्वारा हस्तांतरण: एएआई रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों को हस्तांतरण

नहीं करेगा (जब तक कि ऐसा हस्तांतरण किसी कानून के लागू होने के कारण न हो)।

13.2 रियायतग्राही द्वारा हस्तांतरण: रियायतग्राही एएआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना अपने अधिकारों का हस्तांतरण नहीं करेगा। हालांकि, पूर्व लिखित नोटिस देकर वह अपनी सहयोगी कंपनी, ऋणदाताओं या भारत सरकार को अधिकार हस्तांतरण कर सकता है।

14. विवाद निवारण

14.1 बातचीत और सुलह: पक्षकार आपसी बातचीत के माध्यम से किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे।

14.2 मध्यस्थता: यदि विवाद 60 (साठ) दिनों के भीतर हल नहीं होता है, तो इसे भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

14.3 स्थान: मध्यस्थता का स्थान **नई दिल्ली** होगा और भाषा **अंग्रेजी** होगी।

14.4 निर्णय: मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

15. बीमा

15.1 एएआई अपनी संपत्ति के नुकसान, तीसरे पक्ष की देयता और श्रमिकों के मुआवजे को कवर करने के लिए अपनी लागत पर आवश्यक बीमा बनाए रखेगा।

15.2 एएआई बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर रियायतग्राही को प्रतियां प्रस्तुत करेगा। एएआई द्वारा 45 (पैंतालीस) दिनों के पूर्व नोटिस के बिना कोई भी बीमा रद्द नहीं किया जाएगा।

15.3 यदि एएआई बीमा कराने में विफल रहता है, तो रियायतग्राही बीमा बनाए रख सकता है और एएआई से लागत वसूल सकता है।

16. नोटिस

16.1 सभी नोटिस लिखित रूप में दिए जाएंगे और व्यक्तिगत रूप से, कूरियर द्वारा, पंजीकृत डाक या ईमेल/फैक्स द्वारा भेजे जाएंगे।

16.2 पते:

- **रियायतग्राही**: अदानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

  ईमेल: cao.guwahatiairport@adani.com

  ध्यानार्थ: मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी (Chief Airport Officer)

- **एएआई**: राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110 003

  फैक्स: 011 24641088

  ईमेल: chairman@aai.aero

  ध्यानार्थ: अध्यक्ष (Chairman)

17. मानी गई सुपुर्दगी प्रप्ति

फैक्स या ईमेल द्वारा भेजा गया कोई भी संचार अगले कार्य दिवस में प्राप्त माना जाएगा, और पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया संचार 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त माना जाएगा।

18. विविध

18.1 पृथककरणीयता: यदि इस समझौते का कोई प्रावधान अमान्य या गैर-कानूनी हो जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता प्रभावित नहीं होगी।

18.2 संपूर्ण समझौता: यह समझौता और इसकी अनुसूचियां एएआई और रियायतग्राही के बीच विषय वस्तु के संबंध में संपूर्ण समझौते का निर्माण करती हैं।

18.3 शर्तों में बदलाव: इस समझौते में कोई भी संशोधन केवल तभी प्रभावी होगा जब वह लिखित रूप में हो और दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हो।

18.4 छूट: किसी भी पक्ष द्वारा किसी चूक की छूट को भविष्य की किसी चूक की छूट नहीं माना जाएगा।

18.4.2 किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या इसके तहत किसी भी दायित्व के पालन पर किसी भी अवसर पर जोर न देना, अथवा किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई छूट या समय, ऐसे उल्लंघन की छूट या किसी भी बदलाव की स्वीकृति या इसके तहत किसी भी अधिकार के परित्याग के रूप में नहीं माना जाएगा।

18.5 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्य

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने और सौंपने के लिए सहमत होता है, तथा ऐसे अतिरिक्त कार्य करने और सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत होता है जो इस समझौते के इरादे को प्रभावी बनाने और लेनदेन को पूरा करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हों।

18.6 देर से भुगतान के लिए ब्याज

इस समझौते के अनुसार किसी पक्ष को देय कोई भी राशि जो देय तिथि के बाद भी बकाया रहती है, उस पर देय तिथि से लेकर पूर्ण भुगतान होने तक दैनिक आधार पर ब्याज लगेगा। यह ब्याज समय-समय पर प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक की प्राइम लैंडिंग दर से 2 (दो) प्रतिशत अंक अधिक की दर से देय होगा।

18.7 कोई साझेदारी नहीं

न तो यह समझौता, न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह एक हिस्सा है, और न ही ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के तहत पक्षकारों द्वारा अपने संबंधित दायित्वों का निष्पादन, पक्षकारों के बीच किसी साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष को (जब तक कि इस समझौते के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से अधिकार न दिया गया हो और उसे रद्द न किया गया हो) दूसरे पक्ष को अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

18.8 कोई तृतीय-पक्ष लाभार्थी नहीं

यह समझौता केवल इसके पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य लाभ के लिए है और इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी भी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई संविदात्मक संबंध या कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं करेगा।

18.9 उत्तरजीविता

18.9.1 इस समझौते की समाप्ति:

- (i) पक्षकारों को इसके तहत उन दायित्वों से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या प्रभाव से समाप्ति के बाद भी लागू रहते हैं; और
- (ii) इस समझौते के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए के अलावा (जो किसी भी पक्ष की देयता को सीमित करता है), ऐसी समाप्ति के प्रभावी होने से पहले या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले कार्यों या लोपों के कारण दूसरे पक्ष को हुए नुकसान या क्षति के दायित्वों से किसी भी पक्ष को मुक्त नहीं करेगी।

18.9.2 इस समझौते के रद्द होने, समाप्ति या समाप्त होने के बाद भी जीवित रहने वाले सभी दायित्व केवल इस समझौते की ऐसी समाप्ति या समाप्ति की तारीख के बाद 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही लागू रहेंगे।

18.10 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह समझौता पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों तथा स्वीकृत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

18.11 प्रतिलेख

यह समझौता एक या अधिक प्रतियों (काउंटरपार्ट्स) में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और ये सभी मिलकर एक ही समझौता माने जाएंगे।

18.12 समय का महत्व

इस समझौते में, उल्लेखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में और इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली किसी भी तिथि, अवधि या समय के संबंध में भी समय का विशेष महत्व होगा ।

18.13 समय की गणना

इस समझौते में संदर्भित समय भारतीय मानक समय आईएसटी के अनुसार है। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमत किसी भी समय अवधि की गणना करने में, उस कार्य, घटना या चूक के दिन को शामिल किया जाएगा जिससे निर्दिष्ट समय अवधि शुरू होती है। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कोई कार्य दिवस नहीं है, तो वह अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक मानी जाएगी।

19. लागू कानून

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार निर्मित और व्याख्यायित किया जाएगा तथा भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा, और नई दिल्ली स्थित अदालतों के पास इस समझौते से उत्पन्न या इससे संबंधित सभी मामलों के लिए अधिकार क्षेत्र होगा।

20. एएआई द्वारा वचन

एएआई बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

- (i) सहमत होता है कि, यदि इस समझौते या इसके द्वारा विचार किए गए किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में उसके या उसकी संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसकी संपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों से किसी भी प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जाएगा;
- (ii) किसी भी अधिकार क्षेत्र में ऐसी किसी भी कार्यवाही में उसके खिलाफ किसी भी निर्णय या फैसले के प्रवर्तन के संबंध में सामान्य रूप से राहत देने या प्रक्रिया जारी करने के लिए सहमति देता है (जिसमें किसी भी संपत्ति के खिलाफ या उसके संबंध में कोई निर्णय, निर्णय या आदेश का निष्पादन शामिल है, चाहे उसका उपयोग या इरादा कुछ भी हो)।

इसके साक्ष्य के रूप में, पक्षकारों ने ऊपर लिखित तिथि को इस समझौते को निष्पादित और प्रस्तुत किया है।

द्वारा हस्ताक्षरित . . .

अनुसूची 1: एएआई उपकरण और रियायतग्राही उपकरण

भाग 1: रियायतग्राही उपकरण

- रनवे लाइटिंग और मार्किंग
- टैक्सीवे लाइटिंग और मार्किंग
- संकेत (साइनेज)
- एप्रन लाइटिंग और मार्किंग
- एएआई उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल नींव/फाउंडेशन)
- पीएपीआई और एप्रोच लाइटिंग
- एरोड्रोम बीकन (टावर पर)
- लैंडिंग डे और नाइट मार्किंग
- पवन दिशा सूचक (प्रकाशित)
- एएआई और एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड के बीच हॉट लाइन्स
- क्रैश बेल, केबलिंग और सायरन
- एयरफील्ड लाइटिंग/विजुअल एड्स के लिए कंट्रोल पैनल और मॉनिटरिंग सिस्टम (भविष्य के लिए)
- परिचालन क्षेत्र के लिए एप्रोच रोड्स (साइट एयरपोर्ट नेविगेशन एड्स/रडार की एप्रोच रोड्स के अलावा)
- नेविगेशनल एड्स/रडार प्रतिष्ठानों के लिए भवन

- प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार सिग्नल क्षेत्र
- अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना के अनुसार आवश्यक नया एयर ट्रैफिक सर्विसेज कॉम्प्लेक्स (जिसमें कंट्रोल टावर, टेक्निकल ब्लॉक, साइट पर और/या साइट से बाहर नेविगेशनल एड्स/रडार के लिए भवन शामिल होंगे)

भाग 2: एएआई उपकरण

एएआई प्रस्तावित विमान संचालन के लिए प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार सीएनएस-एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदेगा और उपलब्ध कराएगा। ऐसे उपकरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- एसेसरीज के साथ वीएचएफ कम्यूनिकेशन सेट
- डीवीओआर/डीएमई या एनडीबी
- वॉयस रिकॉर्डर
- आईएलएस उपकरण और उसकी एसेसरीज
- रडार और उसकी एसेसरीज
- एडीएस-बी और उसकी एसेसरीज
- ए-एसएमजीसीएस और एसेसरीज

अनुसूची 2: सीएनएस/एटीएम सेवाएं

एएआई हवाई अड्डे के हवाई क्षेत्र की लेटरल और लंबवत वर्टिकल सीमाओं के भीतर आवश्यकतानुसार निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा और उनका समन्वय करेगा:

- एरोड्रोम कंट्रोल सर्विस (जिसमें सतह आवाजाही नियंत्रण या ग्राउंड कंट्रोल शामिल है, एप्रन कंट्रोल सर्विस को छोड़कर);
- एप्रोच कंट्रोल/एप्रोच रडार कंट्रोल सर्विस (यदि नियोजित हो);
- एरिया कंट्रोल/एरिया रडार कंट्रोल सर्विस (यदि नियोजित हो);
- संबंधित सेवाएं जैसे कि एयरोनॉटिकल मोबाइल सर्विस (एएमएस), एयरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विसेज (एएफएस), एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस (एआईएस), फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, एडवाइजरी सर्विस, अलर्टिंग सर्विस और सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सर्विसेज;

यह सभी प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार तथा प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक रूप से प्रदान की जाएंगी।

अनुसूची 3: कार्यालय और सुविधाएं

रियायतग्राही एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए एएआई और उसके कर्मियों तथा एजेंटों को निम्नलिखित कार्यालय स्थान और सुविधाएं (एयर-कंडीशनिंग (कंट्रोल टावर में आवश्यकतानुसार आंशिक एयर-कंडीशनिंग सहित), बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति तथा हाउस-कीपिंग के प्रावधान के साथ) उपलब्ध कराएगा:

- **कंट्रोल टावर**: रियायतग्राही आवश्यकतानुसार विभिन्न एटीएस इकाइयों को रखने के लिए 1650 वर्ग मीटर (जैसा भी लागू हो) का क्षेत्रफल, टेक्निकल ब्लॉक, नेव-एड्स और रडार भवन उपलब्ध कराएगा।
- **कार्यालय**: रियायतग्राही 1,200 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल उपलब्ध कराएगा।
- **कार पार्किंग**: रियायतग्राही एएआई को उसके कर्मियों और एजेंटों के उपयोग के लिए हवाई अड्डे पर 10 कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि एयर-कंडीशनिंग, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति तथा हाउस-कीपिंग का प्रावधान रियायतग्राही द्वारा अपनी लागत और खर्च पर किया जाएगा।

अनुसूची 4: कवर्ड आउट एरिया

क्र.सं.	संपत्ति	वर्ग मीटर (लगभग)
1.	मौजूदा एटीसी टावर	1,650
2.	एएआई कार्यालय (पुराना एएआई कार्यालय + एकीकृत कार्यालय परिसर)	21,200
3.	मौसम कार्यालय	6,100
4.	एमएसएसआर (रडार)	3,400
5.	प्रस्तावित एटीसी सह तकनीकी ब्लॉक	8,150
6.	प्रस्तावित एएआई कॉलोनी	40,500
7.	**कुल**	**79,350**

अनुसूची 5: मौजूदा उपकरणों की सूची

- डीवीओआर
- लोकलाइजर
- लोकलाइजर हट
- एसएमआर
- एमएसएसआर
- मौजूदा ग्लाइड पाथ एंटीना

अनुसूची 6: हवाई अड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भविष्य का रोड मैप

- प्रस्तावित ग्लाइड पाथ मॉनिटर
- प्रस्तावित ग्लाइड पाथ एंटीना
- प्रस्तावित ग्लाइड पाथ हट
- प्रस्तावित एटीसी सह तकनीकी ब्लॉक (8,150 वर्ग मीटर)
- प्रस्तावित एएआई कॉलोनी (40,500 वर्ग मीटर)